संख्या- 78/2021/2210/1385701/12-2010/8/2021

प्रेषक,

आलोक सिन्हा,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 22 अक्टूबर, 2021

विषय- उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन नीति-2020 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को आकर्षक एवं लाभदायक बनाने तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से, प्रदेश के कृषक उत्पादक संगठन एवं व्यवसायिक गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु शासनादेश सं0- 35/2020/1899/ 12-2-2020-1/2019 टी0सी0 दिनांक 29 सितम्बर 2020 द्वारा ''उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन नीति-2020'' जारी की गयी है।

2- उक्त नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कृषि अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-05/2021/ 222/12-2-2021-1/2019 टी0सी0-1 दिनांक 15 जनवरी, 2021 एवं शासनादेश संख्या: 04/2021/221/12-2-2021-1/2019 टी0सी0 दिनॉक 15 जनवरी, 2021 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश में प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में न्यूनतम 01 (एक) एफ0पी0ओ0 गठित किये जाने के निर्देश दिये गये है। जनपद स्तर पर अनुश्रवण तथा समन्वय हेतु शासनादेश संख्या: 58/2020/2021/12-2-2020-1/2019 दिनांक 04 नवम्बर, 2020 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। कृषक उत्पादक संगठनों को विभिन्न विभागों की योजनाओं से लाभान्वित किये जाने हेतु निरन्तर उनसे समन्वय की आवश्कता होगी। इस हेतु नियमित बैठक किये जाने के निर्देश हैं।

3. प्रश्नगत सन्दर्भ में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि:-

(1) प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह में भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित एफ0पी0ओ0 नीति 2020 के अन्तर्गत गठित ''जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति'' एवं ''उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन नीति-2020'' के अन्तर्गत गठित ''जनपद स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई'' की नियमित बैठकें जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में की जायेंगी। इन बैठकों में जनपद में पूर्व से गठित

http://sirsanadesh.up.gov.in

एवं क्रियाशील एफ0पी0ओ0 की व्यवसाय से सम्बन्धित समस्याओं पर सम्यक विचारोपरान्त आवश्यक कार्यवाही निश्चित रूप से की जाय।

(2) बैठक में जिन जनपदों में डी0डी0एम0, नाबार्ड कार्यरत नही होगे वहॉ जिला अनुश्रवण समिति में उप कृषि निदेशक द्वारा सदस्य-सचिव के उत्तरदायित्वों का निवर्हन किया जायेगा।

(3) समस्त मुख्य विकास अधिकारी इस बैठक को उद्योग बन्धु की बैठक की भॉति नियमित कराने हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

(4) समस्त बैठकों का कार्यवृत्त प्रत्येक माह कृषि निदेशालय में गठित एफ0पी0ओ0 परियोजना प्रबन्धन इकाई/संयुक्त कृषि निदेशक (दलहन) कृषि भवन लखनऊ को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। जो प्रत्येक माह समीक्षा कर विशेष सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई- एफ0पी0ओ0 के माध्यम से अपर मुख्य सचिव, कृषि, तथा कृषि उत्पादन आयुक्त को अवलोकित करायेंगे।

(5) बैठकों में जनपद में पूर्व से गठित कृषक उत्पादक संगठनों के निदेशकों को भी आमंत्रित किया जायेगा, जहां उन्हें विभिन्न नवीन योजनाओं से अवगत कराते हुए विभिन्न विभागों से सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण कराये जाने के भी प्रयास किये जायेंगे।

(6) बैठकों में कृषि विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, रेशम विभाग, सहकारिता विभाग, एम0एस0एम0ई0, पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग, मत्स्य के अतिरिक्त अन्य राज्य/केन्द्र पोषित योजनाओं से कन्वर्जेन्स कर जनपद के कृषक उत्पादक संगठनों को लाभान्वित किये जाने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही हेतु विचार-विमर्श कर निर्णय लिये जायेगें।

(7) UP-FPO Shakti पोर्टल पर शीघ्र ही ''जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति''/''जनपद स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई'' की बैठकों की नियमित समीक्षा हेतु कार्यवृत्त को अपलोड करने हेतु TSU द्वारा व्यवस्था प्रदान की जायेगी तदोपरान्त कार्यवृत्त को उक्त पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

कृपया उक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक सिन्हा)
कृषि उत्पादन आयुक्त।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या: 78/2021/2210(1)/1385701**(1)**12-2010/8/2021 तदनिॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव कृषि/उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/पंचायती राज विभाग/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग/उद्योग तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग/दुग्ध विकास विभाग/मतस्य विभाग/वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/रेशम विभाग/पशुधन विभाग/सहकारिता/न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,

2- आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उ0प्र0, लखनऊ,

3- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ,

4- विशेष सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा, उ0प्र0 शासन/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई- एफ0पी0ओ0, लखनऊ,

5- निदेशक, कृषि/उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/पशुपालन/मत्स्य/रेशम/पंचायतीराज/वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/विपणन/दुग्ध विकास/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग/कृषि विदेश एवं व्यापार विभाग उत्तर प्रदेश,

6- मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, उत्तर प्रदेश,

7- निदेशक, एन0सी0डी0सी0/एस0एफ0ए0सी0/नैफैड,

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in